



क्षेत्रीय कार्यालय : 30 प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर
REGIONAL OFFICE : U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ सं०-
To,

654/स्था-161/21

दिनांक:-29-7-21

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi,
Email- judicial-ngt@gov.in

Subject-Submission of Compliance Report in compliance of Hon'ble NGT order dated 31.10.2019 in the matter of O.A. No.-936/2019 Sushil Kumar Awasthi Vs State of Uttar Pradesh.

Sir,

In compliance of Hon'ble NGT order dated 31.10.2019 in the matter of O.A. No.-936/2019 Sushil Kumar Awasthi Vs State of Uttar Pradesh, Compliance Report is enclosed herewith.

It is requested that the compliance report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.-As above.

Your's faithfully


(Dr. A.K. Mathur)
Regional Officer

कार्यवाही आख्या

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-९३६/२०१९ सुशील कुमार अवस्थी बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० में पारित आदेश दिनांक ३१.१०.२०१९ के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं०-एच५९२५०/सी-२/विधि/ओ०ए० सं०-९३६/१९, दिनांक २२.०२.२०२१ के क्रम में किये गये सर्वेक्षण में शिकायती क्षेत्र सदर बाजार गेट हरबंश मोहाल, सीताराम मोहाल, हुलागंज क्षेत्र के आवासीय/व्यवसायिक क्षेत्र में स्थापित/संचालित पायी गयी ०९ पेठा इकाईयों का संचालन बन्द कराये जाने हेतु नगर मजिस्ट्रेट महोदय, कानपुर नगर के आदेश सं०-१८३/एस०टी०-२०२१, दिनांक ०८.०६.२०२१ द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में दिनांक १५.०६.२०२१ को मय फोर्स शिकायती स्थल पर स्थापित/संचालित पायी गयी ०९ निरीक्षण किया गया।

1. मेसर्स बरुवा पेठा, ६१/१३३ सीताराम मोहाल, पोस्ट-हरबंश मोहाल, कानपुर नगर।

संदर्भित पेठा कारखाने में एक भट्ठी स्थापित है। निरीक्षण में पेठा उत्पादन कार्य बन्द कर दिया जाना पाया गया।

2. मेसर्स गुलशन पेठा स्टोर, ६१/१४२ सीताराम मोहाल, पोस्ट-हरबंश मोहाल, कानपुर नगर।

संदर्भित पेठा कारखाने में एक भट्ठी स्थापित है। निरीक्षण में पेठा उत्पादन कार्य संचालित पाये जाने पर उत्पादन कार्य बन्द किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है निर्देश का अनुपालन में दिनांक १६.०६.२०२१ से कारखाने में पेठा उत्पादन बन्द कर दिये जाने की लिखित सूचना दिनांक २८.०६.२०२१ को दी गयी, जिसका सत्यापन दिनांक ०६.०७.२०२१ को किया गया। निरीक्षण में पेठा उत्पादन कार्य बन्द कर दिया जाना पाया गया।

3. मेसर्स जीतू पेठा, हुलागंज, कानपुर नगर।

संदर्भित पेठा कारखाने में एक भट्ठी स्थापित है। निरीक्षण में पेठा उत्पादन कार्य बन्द कर दिया जाना पाया गया।

4. मेसर्स प्रेम पेठा, हुलागंज, कानपुर नगर।

संदर्भित पेठा कारखाने में एक भट्ठी स्थापित है। निरीक्षण में पेठा उत्पादन कार्य बन्द कर दिया जाना पाया गया।

5. मेसर्स राजेन्द्र गुप्ता पेठा, ६१/१२२ए, हुलागंज, कानपुर नगर।

संदर्भित पेठा कारखाने में एक भट्ठी स्थापित है। निरीक्षण में पेठा उत्पादन कार्य बन्द कर दिया जाना पाया गया।


J.E.


R.F.


R.F.

6. मेसर्स साहूकार पेठा स्टोर, 63/89 हरबंश मोहाल, कानपुर नगर।

संदर्भित पेठा कारखाने में एक भट्ठी स्थापित है। निरीक्षण में पेठा उत्पादन कार्य बन्द कर दिया जाना पाया गया।

7. मेसर्स राम कुमार दीक्षित, 63/48, हरबंश मोहाल, कानपुर नगर।

संदर्भित पेठा कारखाने में एक भट्ठी स्थापित है। निरीक्षण में पेठा उत्पादन कार्य बन्द कर दिया जाना पाया गया।

8. मेसर्स रूप ट्रेडर्स (बन्टी गुप्ता पेठा), 61/133 सीताराम मोहाल, पोस्ट-हरबंश मोहाल, कानपुर नगर।

संदर्भित पेठा कारखाने में एक भट्ठी स्थापित है। निरीक्षण में पेठा उत्पादन कार्य संचालित पाये जाने पर उत्पादन कार्य बन्द किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है निर्देश का अनुपालन में दिनांक 16.06.2021 से कारखाने में पेठा उत्पादन बन्द कर दिये जाने की लिखित सूचना दिनांक 26.06.2021 को दी गयी, जिसका सत्यापन दिनांक 06.07.2021 को किया गया। निरीक्षण में पेठा उत्पादन कार्य बन्द कर दिया जाना पाया गया।

9. मेसर्स रमेश पेठा, नियर बेंकटेश्वर मन्दिर, लोक मोहाल, दौलतगंज, कानपुर नगर।

संदर्भित पेठा कारखाने में एक भट्ठी स्थापित है। निरीक्षण में पेठा उत्पादन कार्य संचालित पाये जाने पर उत्पादन कार्य बन्द किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है निर्देश का अनुपालन में दिनांक 16.06.2021 से कारखाने में पेठा उत्पादन बन्द कर दिये जाने की लिखित सूचना दिनांक 25.06.2021 को दी गयी, जिसका सत्यापन दिनांक 06.07.2021 को किया गया। निरीक्षण में पेठा उत्पादन कार्य बन्द कर दिया जाना पाया गया।


(फरेश कुमार)
अवर अभियन्ता
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
कानपुर नगर।


(योगेश कुमार मिश्र)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
कानपुर नगर।


(प्रतीक्षा श्रीवास्तव)
राजस्व निरीक्षक
कानपुर नगर निगम,
कानपुर नगर।



क्षेत्रीय कार्यालय : उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर
REGIONAL OFFICE : U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ सं०-
सेवा में,

350/2110-161/21

दिनांक: 12/07/21

नगर आयुक्त,
कानपुर नगर निगम,
कानपुर नगर।

विषय:—मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं० 938/2019 सुशील कुमार अवस्थी बनाम उ०प्र० सरकार गें पारित आदेश दिनांक 31.10.2019 के अनुपालन के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं० 32/सा-161/21 दिनांक 09.04.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र के माध्यम से मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के क्रम में संदर्भित क्षेत्र में इस कार्यालय स्तर से सर्वेक्षण कर सदर बाजार के अन्तर्गत हरवंश मोहाल, सीताराम मोहाल, हूलागंज क्षेत्रों में संचालित 09 पेठा इकाइयों का संचालन निषेधित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। नगर मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 08.06.2021 के माध्यम से गठित समिति द्वारा संदर्भित 09 पेठा इकाइयों का संचालन बन्द करा दिया गया है। उक्त क्षेत्रों में बन्द कराई गयी पेठा इकाइयों तथा इस प्रकृति की अन्य इकाइयों का संचालन निषेधित रखे जाने हेतु संबन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(डॉ० ए०के० माथुर)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित—

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

210-161

Court No. 1

Item No. 30

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 936/2019

Sushil Kumar Avasthi

Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh

Respondent(s)

Date of hearing: 31.10.2019

CORAM:

HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE S.P WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE K. RAMAKRISHNAN, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. SATYAWAN SINGH GARBYAL, EXPERT MEMBER



ADM (C) Ro. U.P.P.C.B

Application is registered based on a complaint received by post

ORDER

(आलोक तिवारी)

जिलाधिकारी

कानपुर नगर

10/02/2021

Grievance in this application is against illegally extraction of ground water by the petn factories at Kanpur. It is alleged that about 250 factories are operating in the residential area affecting the environment.

the Uttar Pradesh State PCB and the District Magistrate, Kanpur City take into the matter take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in. The nodal agency for compliance and coordination will be the Uttar Pradesh State PCB

A copy of this order, along with complaint, be sent to the Uttar Pradesh State PCB and the District Magistrate, Kanpur City by e-mail for compliance.

AD (PCB)
Kanpur

ADM City
19/12/19
ADM City
Kanpur Nagar

1641

522 / FSE
OK
22/02/2021

List for further consideration on 19.03.2020.

Adarsh Kumar Goel, CP

S.P Wangdi, JM

K. Ramakrishnan, JM

Dr. Satyawan Singh Garbyal, EM

October 31, 2019
Original Application No. 936/2019



क्षेत्रीय कार्यालय : 30प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर
REGIONAL OFFICE : U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

दिनांक: 09-11-21

संदर्भ- 32/स्य-161/21
सेवा में

नगर आयुक्त
कानपुर नगर निगम,
कानपुर नगर।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-936/2019 में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-936/2019 सुशील कुमार अवस्थी बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित आदेश में कानपुर में आवासीय क्षेत्र में संचालित पेठा इकाईयों के सम्बन्ध में की गयी शिकायत का संज्ञान लेते हुये नियमानुसार उपयुक्त कार्यवाही किये जाने तथा कार्यवाही आख्या मा0 अधिकरण को प्रेषित किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

उक्त के क्रम में जिला प्रशासन से प्राप्त निर्देशानुसार शिकायत में उल्लिखित क्षेत्र का सर्वेक्षण क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर की टीम द्वारा किया गया है, सर्वेक्षण में सदर बाजार के अन्तर्गत हरबंश मोहाल, सीताराम मोहाल, हुलागंज क्षेत्रों में वर्तमान में 09 पेठा इकाईयां स्थापित/संचालित पायी गयी है। आख्या की प्रति संलग्न है।

आवासीय क्षेत्र में संचालित व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0-34957/2003 (श्रीमती मिथलेश बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य) में पारित आदेश के संदर्भ में मुख्य सचिव के पत्रांक सीएल-89(1)/9-आ-3-2003/ 62 रिट/2003 दिनांक 10.11.2003 व प्रमुख सचिव, पर्यावरण, विभाग के पत्रांक एन0जी0टी0-613/ 81-7-2019-162(रिट)/20 16. दिनांक 28.11.2019, के द्वारा जारी शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय को आदेशित किया गया है।

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सर्वेक्षण में स्थापित/संचालित पायी गयी 09 पेठा इकाईयों के विरुद्ध उपरोक्त शासनादेशों के क्रम में नगर निगम के स्तर से आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें तथा कार्यवाही आख्या मा0 अधिकरण में प्रस्तुत किये जाने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(डॉ0 ए0के0 माथुर)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी (नगर), कानपुर नगर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-938/2019 सुशील कुमार अवस्थी बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0-एच59250/सी-2/विधि/ओ0ए0 सं0-938/19 दिनांक 22.02.2021 के अनुपालन में उक्त विषयक के सम्बन्ध में सदर बाजार के अन्तर्गत हरबंश मोहाल, सीताराम मोहाल, हुलागंज एवं अन्य क्षेत्रों में वर्तमान में स्थापित एवं संचालित पेठा इकाईयों का निरीक्षण/सर्वेक्षण अधोहरस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 24.02.2021, 25.02.2021, 26.02.2021 एवं 27.02.2021 को किया गया। निरीक्षण/सर्वेक्षण में उक्त क्षेत्रों में वर्तमान में कुल 09 इकाईयां स्थापित/संचालित पायी गयी, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

1. मेसर्स गुलशन पेठा स्टोर, 61/142 सीताराम मोहाल, पोस्ट-हरबंश मोहाल, कानपुर नगर।
 2. मेसर्स रूप ट्रेडर्स (बन्टी गुप्ता पेठा), 61/133 सीताराम मोहाल, पोस्ट-हरबंश मोहाल, कानपुर नगर।
 3. मेसर्स बऊवा पेठा, 61/133 सीताराम मोहाल, पोस्ट-हरबंश मोहाल, कानपुर नगर।
 4. मेसर्स जीतू पेठा, हुलागंज, कानपुर नगर।
 5. मेसर्स प्रेम पेठा, हुलागंज, कानपुर नगर।
 6. मेसर्स राम कुमार दीक्षित, 63/48, हरबंश मोहाल, कानपुर नगर।
 7. मेसर्स राजेन्द्र गुप्ता पेठा, 61/122ए, हुलागंज, कानपुर नगर।
 8. मेसर्स रमेश पेठा, नियर बैंकटेश्वर मन्दिर, लोक मोहाल, दौलतगंज, कानपुर नगर।
 9. मेसर्स साहूकार पेठा स्टोर, 63/89 हरबंश मोहाल, कानपुर नगर।
- उक्त पेठा इकाईयों का विस्तृत आख्या निम्नवत् है:-

1. मेसर्स गुलशन पेठा स्टोर, 61/142 सीताराम मोहाल, पोस्ट-हरबंश मोहाल, कानपुर नगर।

निरीक्षण के समय संदर्भित पेठा इकाई संचालनरत पाया गया तथा उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री महेन्द्र यादव उपस्थित थे। इकाई एक सीजनल इकाई है।

- इकाई एक पेठा उद्योग है तथा कच्चे माल के रूप में कुम्हड़ा, चूना, चीनी आदि का प्रयोग कर पेठा का उत्पादन किया जाता है।
- कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग द्वारा इकाई स्थापना से पूर्व अनाति प्रमाण पत्र एवं संचालन से पूर्व सहमति आदेश प्राप्त नहीं किया गया है और न ही उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा उक्त से सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
- इकाई प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि इकाई द्वारा लगभग 2.5 कुन्तल/दिन पेठा का उत्पादन किया जाता है।
- इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रक्रिया में किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित है। औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु इकाई में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं है। इकाई द्वारा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को सीधे नाले में निस्तारित किया जाता है।
- इकाई में 01 नग मैनुवल भट्ठी स्थापित है। भट्ठी में ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। भट्ठी में ईंधन जलने से उत्पन्न वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं चिमनी स्थापित नहीं है। इकाई से जनित गैसीय उत्सर्जन को सीधे वायु मण्डल में निस्तारित किया जाता है।



- इकाई सघन आबादी वाले व्यवसायिक/आवासीय क्षेत्र में स्थित है। इकाई में चिमनी स्थापित न होने के कारण गैसीय उत्सर्जन का विसर्जन समुचित ढंग से नहीं होता है, जिसके कारण आस-पास के पर्यावरण एवं जन-स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है।

2. मेसर्स रूप ट्रेडर्स (बन्टी गुप्ता पेठा), 61/133 सीताराम मोहाल, पोस्ट-हरबंश मोहाल, कानपुर नगर।

निरीक्षण के समय संदर्भित पेठा उद्योग संचालनरत पाया गया तथा उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री योगेन्द्र गुप्ता उपस्थित थे। इकाई एक सीजनल इकाई है।

- इकाई एक पेठा उद्योग है तथा कच्चे माल के रूप में कुम्हड़ा, चूना, चीनी आदि का प्रयोग कर पेठा का उत्पादन किया जाता है।
- कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग द्वारा इकाई स्थापना से पूर्व अनाति प्रमाण पत्र एवं संचालन से पूर्व सहमति आदेश प्राप्त नहीं किया गया है और न ही उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा उक्त से सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
- इकाई प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि इकाई द्वारा लगभग 2.5 कुन्तल/दिन पेठा का उत्पादन किया जाता है।
- इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रक्रिया में किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित है। औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु इकाई में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं है। इकाई द्वारा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को सीधे नाले में निस्तारित किया जाता है।
- इकाई में 01 नग मैनुवल भट्टी स्थापित है। भट्टी में ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। भट्टी में ईंधन जलने से उत्पन्न वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं चिमनी स्थापित नहीं है। इकाई से जनित गैसीय उत्सर्जन को सीधे वायु मण्डल में निस्तारित किया जाता है।
- इकाई सघन आबादी वाले व्यवसायिक/आवासीय क्षेत्र में स्थित है। इकाई में चिमनी स्थापित न होने के कारण गैसीय उत्सर्जन का विसर्जन समुचित ढंग से नहीं होता है, जिसके कारण आस-पास के पर्यावरण एवं जन-स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है।

3. मेसर्स बरुवा पेठा, 61/133 सीताराम मोहाल, पोस्ट-हरबंश मोहाल, कानपुर नगर।

निरीक्षण के समय संदर्भित पेठा उद्योग संचालनरत पाया गया तथा उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री मनीश गुप्ता उपस्थित थे। इकाई एक सीजनल इकाई है।

- इकाई एक पेठा उद्योग है तथा कच्चे माल के रूप में कुम्हड़ा, चूना, चीनी आदि का प्रयोग कर पेठा का उत्पादन किया जाता है।
- कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग द्वारा इकाई स्थापना से पूर्व अनाति प्रमाण पत्र एवं संचालन से पूर्व सहमति आदेश प्राप्त नहीं किया गया है और न ही उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा उक्त से सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
- इकाई प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि इकाई द्वारा लगभग 2.5 कुन्तल/दिन पेठा का उत्पादन किया जाता है।
- इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रक्रिया में किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित है। औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु इकाई में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं है। इकाई द्वारा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को सीधे नाले में निस्तारित किया जाता है।



- इकाई में 01 नग मैनुवल भट्टी स्थापित है। भट्टी में ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। भट्टी में ईंधन जलने से उत्पन्न वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु वायु प्रदूषण निवंत्रण व्यवस्था एवं चिमनी स्थापित नहीं है। इकाई से जनित गैसीय उत्सर्जन को सीधे वायु मण्डल में निस्तारित किया जाता है।
- इकाई सघन आबादी वाले व्यवसायिक/आवासीय क्षेत्र में स्थित है। इकाई में चिमनी स्थापित न होने के कारण गैसीय उत्सर्जन का विसर्जन समुचित ढंग से नहीं होता है, जिसके कारण आस-पास के पर्यावरण एवं जन-स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है।

4. मेसर्स जीतू पेठा, हुलागंज, कानपुर नगर।


निरीक्षण के समय संदर्भित पेठा उद्योग संचालनरत पाया गया तथा उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री किशन उपस्थित थे। इकाई एक सीजनल इकाई है।

- इकाई एक पेठा उद्योग है तथा कच्चे माल के रूप में कुम्हड़ा, चूना, चीनी आदि का प्रयोग कर पेठा का उत्पादन किया जाता है।
- कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग द्वारा इकाई स्थापना से पूर्व अनाति प्रमाण पत्र एवं संचालन से पूर्व सहमति आदेश प्राप्त नहीं किया गया है और न ही उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा उक्त से सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
- इकाई प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि इकाई द्वारा लगभग 25 कुन्तल/दिन पेठा का उत्पादन किया जाता है।
- इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रक्रिया में किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित है। औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु इकाई में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं है। इकाई द्वारा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को सीधे नाले में निस्तारित किया जाता है।
- इकाई में 01 नग मैनुवल भट्टी स्थापित है। भट्टी में ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। भट्टी में ईंधन जलने से उत्पन्न वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु वायु प्रदूषण निवंत्रण व्यवस्था एवं चिमनी स्थापित नहीं है। इकाई से जनित गैसीय उत्सर्जन को सीधे वायु मण्डल में निस्तारित किया जाता है।
- इकाई सघन आबादी वाले व्यवसायिक/आवासीय क्षेत्र में स्थित है। इकाई में चिमनी स्थापित न होने के कारण गैसीय उत्सर्जन का विसर्जन समुचित ढंग से नहीं होता है, जिसके कारण आस-पास के पर्यावरण एवं जन-स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है।

5. मेसर्स प्रेम पेठा, हुलागंज, कानपुर नगर।

निरीक्षण के समय संदर्भित पेठा उद्योग संचालनरत पाया गया तथा उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री प्रेम उपस्थित थे। इकाई एक सीजनल इकाई है।

- इकाई एक पेठा उद्योग है तथा कच्चे माल के रूप में कुम्हड़ा, चूना, चीनी आदि का प्रयोग कर पेठा का उत्पादन किया जाता है।
- कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग द्वारा इकाई स्थापना से पूर्व अनाति प्रमाण पत्र एवं संचालन से पूर्व सहमति आदेश प्राप्त नहीं किया गया है और न ही उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा उक्त से सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
- इकाई प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि इकाई द्वारा लगभग 2.5 कुन्तल/दिन पेठा का उत्पादन किया जाता है।
- इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रक्रिया में किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित है। औद्योगिक



प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु इकाई में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं है। इकाई द्वारा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को सीधे नाले में निस्तारित किया जाता है।

- इकाई में 01 नग मैनुवल भट्ठी स्थापित है। भट्ठी में ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। भट्ठी में ईंधन जलने से उत्पन्न वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं चिमनी स्थापित नहीं है। इकाई से जनित गैसीय उत्सर्जन को सीधे वायु मण्डल में निस्तारित किया जाता है।
- इकाई सघन आबादी वाले व्यवसायिक/आवासीय क्षेत्र में स्थित है। इकाई में चिमनी स्थापित न होने के कारण गैसीय उत्सर्जन का विसर्जन समुचित ढंग से नहीं होता है, जिसके कारण आस-पास के पर्यावरण एवं जन-स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है।

6. मेसर्स राम कुमार दीक्षित, 63/48, हरबंश मोहाल, कानपुर नगर।

निरीक्षण के समय संदर्भित पेठा उद्योग संचालनरत पाया गया तथा उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री राम कुमार दीक्षित उपस्थित थे। इकाई एक सीजनल इकाई है।

- इकाई एक पेठा उद्योग है तथा कच्चे माल के रूप में कुम्हड़ा, चूना, चीनी आदि का प्रयोग कर पेठा का उत्पादन किया जाता है।
- कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग द्वारा इकाई स्थापना से पूर्व अनाति प्रमाण पत्र एवं संचालन से पूर्व सहमति आदेश प्राप्त नहीं किया गया है और न ही उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा उक्त से सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
- इकाई प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि इकाई द्वारा लगभग 2.5 कुन्तल/दिन पेठा का उत्पादन किया जाता है।
- इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रक्रिया में किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित है। औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु इकाई में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं है। इकाई द्वारा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को सीधे नाले में निस्तारित किया जाता है।
- इकाई में 01 नग मैनुवल भट्ठी स्थापित है। भट्ठी में ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। भट्ठी में ईंधन जलने से उत्पन्न वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं चिमनी स्थापित नहीं है। इकाई से जनित गैसीय उत्सर्जन को सीधे वायु मण्डल में निस्तारित किया जाता है।
- इकाई सघन आबादी वाले व्यवसायिक/आवासीय क्षेत्र में स्थित है। इकाई में चिमनी स्थापित न होने के कारण गैसीय उत्सर्जन का विसर्जन समुचित ढंग से नहीं होता है, जिसके कारण आस-पास के पर्यावरण एवं जन-स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है।

7. मेसर्स राजेन्द्र गुप्ता पेठा, 61/122ए, हुलागंज, कानपुर नगर।

निरीक्षण के समय संदर्भित पेठा उद्योग संचालनरत पाया गया तथा उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री राजेन्द्र गुप्ता उपस्थित थे। इकाई एक सीजनल इकाई है।

- इकाई एक पेठा उद्योग है तथा कच्चे माल के रूप में कुम्हड़ा, चूना, चीनी आदि का प्रयोग कर पेठा का उत्पादन किया जाता है।
- कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग द्वारा इकाई स्थापना से पूर्व अनाति प्रमाण पत्र एवं संचालन से पूर्व सहमति आदेश प्राप्त नहीं किया गया है और न ही उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा उक्त से सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
- इकाई प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि इकाई द्वारा लगभग 2.5 कुन्तल/दिन पेठा का उत्पादन किया जाता है।



- इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रक्रिया में किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित है। औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु इकाई में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं है। इकाई द्वारा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को सीधे नाले में निस्तारित किया जाता है।
- इकाई में 01 नग मैनुवल भट्ठी स्थापित है। भट्ठी में ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। भट्ठी में ईंधन जलने से उत्पन्न वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं चिमनी स्थापित नहीं है। इकाई से जनित गैसीय उत्सर्जन को सीधे वायु मण्डल में निस्तारित किया जाता है।
- इकाई सघन आबादी वाले व्यवसायिक/आवासीय क्षेत्र में स्थित है। इकाई में चिमनी स्थापित न होने के कारण गैसीय उत्सर्जन का विसर्जन समुचित ढंग से नहीं होता है, जिसके कारण आस-पास के पर्यावरण एवं जन-स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है।

8. मेसर्स रमेश पेठा, नियर बैंकटेश्वर मन्दिर, लोक मोहाल, दौलतगंज, कानपुर नगर।

निरीक्षण के समय संदर्भित पेठा उद्योग संचालनरत पाया गया तथा उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री रमेश उपस्थित थे। इकाई एक सीजनल इकाई है।

- इकाई एक पेठा उद्योग है तथा कच्चे माल के रूप में कुम्हड़ा, चूना, चीनी आदि का प्रयोग कर पेठा का उत्पादन किया जाता है।
- कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग द्वारा इकाई स्थापना से पूर्व अनाति प्रमाण पत्र एवं संचालन से पूर्व सहमति आदेश प्राप्त नहीं किया गया है और न ही उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा उक्त से सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
- इकाई प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि इकाई द्वारा लगभग 2.5 कुन्तल/दिन पेठा का उत्पादन किया जाता है।
- इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रक्रिया में किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित है। औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु इकाई में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं है। इकाई द्वारा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को सीधे नाले में निस्तारित किया जाता है।
- इकाई में 01 नग मैनुवल भट्ठी स्थापित है। भट्ठी में ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। भट्ठी में ईंधन जलने से उत्पन्न वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं चिमनी स्थापित नहीं है। इकाई से जनित गैसीय उत्सर्जन को सीधे वायु मण्डल में निस्तारित किया जाता है।
- इकाई सघन आबादी वाले व्यवसायिक/आवासीय क्षेत्र में स्थित है। इकाई में चिमनी स्थापित न होने के कारण गैसीय उत्सर्जन का विसर्जन समुचित ढंग से नहीं होता है, जिसके कारण आस-पास के पर्यावरण एवं जन-स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है।

9. मेसर्स साहूकार पेठा स्टोर, 63/89 हरबंश मोहाल, कानपुर नगर।

निरीक्षण के समय संदर्भित पेठा उद्योग संचालनरत पाया गया तथा उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री साहूकार उपस्थित थे। इकाई एक सीजनल इकाई है।

- इकाई एक पेठा उद्योग है तथा कच्चे माल के रूप में कुम्हड़ा, चूना, चीनी आदि का प्रयोग कर पेठा का उत्पादन किया जाता है।
- कार्यालय अभिलेखानुसार उद्योग द्वारा इकाई स्थापना से पूर्व अनाति प्रमाण पत्र एवं संचालन से पूर्व सहमति आदेश प्राप्त नहीं किया गया है और न ही उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा उक्त से सम्बन्धी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- इकाई प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि इकाई द्वारा लगभग 25 कुन्तल/दिन गैस का उत्पादन किया जाता है।
- इकाई में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रक्रिया में किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्लावक के शुद्धिकरण हेतु सेंट्रिक टैंक/सेंटरिफि स्थानित है। औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्लावक के शुद्धिकरण हेतु इकाई में उत्प्लावक शुद्धिकरण सयंत्र स्थानित नहीं है। इकाई द्वारा असुद्धिकृत उत्प्लावक को सीधे नाले में निस्तारित किया जाता है।
- इकाई में 01 नग मैन्युवेल भट्टी स्थानित है। भट्टी में ईंधन के रूप में कोयला का प्रयोग किया जाता है। भट्टी में ईंधन जलने से उत्पन्न वायु प्रदूषण को रोकथाम हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं चिमनी स्थानित नहीं है। इकाई से जनित गैसीय उत्सर्जन को सीधे वायु मण्डल में निस्तारित किया जाता है।
- इकाई सघन आबादी वाले व्यवसायिक/आवासीय क्षेत्र में स्थित है। इकाई में चिमनी स्थानित न होने के कारण गैसीय उत्सर्जन का दिसर्जन समुचित ढंग से नहीं होता है, जिसके कारण आस-पास के पर्यावरण एवं जन-स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है।


उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये उद्योगों को उक्त स्थल से विस्थापित किये जाने हेतु नगर नियम को पत्र प्रेषित किया जाना उचित होगा।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(संजीव मिश्रा)
अनु. सहज


(वाइड्या हिरदी)
अनु. सहज


(सुधीर कुमार अवस्थी)
अनु. सहज


(विवेक कुमार)
अवर अभियन्ता


(राकेश मिश्रा)
अवर अभियन्ता


(राकेश कुमार)
अवर अभियन्ता

सहायक अभियन्ता / क्षेत्रीय अधिकारी महोदय




02/03/2021